प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ....आरएलपी-

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

सुमेरसिंह ..... बनाम ....रामकल्याण व अन्य

दावा बाबत ....नाम दुरस्ती.....

मुकदमा नम्बर :– 130/2021

निर्णय दिनांक :– 01.12.2021

वादी की ओर से ....एकल.....की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.12.21 को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – दावा डिक्री स्वीकार किया जाकर वादी भूमि राशी ग्राम आरएलपी के खाता नं० 256 में कमसाईड पुत्री भगवानसिंह के स्थान पर सुमेरसिंह पुत्री भगवानसिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सह अमीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दाखिल हो। नाम दुरस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम अधिकारी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

01/12/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:18:50 IST
Reason: SelfAttested